रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 533] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 29, 1972/पौष 8, 1894

No. 533] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 29, 1972/PAUSA 8, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

ORDER

New Delhi, the 29th December 1972

S.O. 773(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (1) of section 80 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968), the Central Government hereby directs that where in relation to any gold, proceedings for adjudication of confiscation or for imposition of penalty are initiated under the said Act as well as under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), an appeal under clause (b) of sub-section (1) of section 80 of the Gold (Control) Act, 1968 (45 of 1968) shall lie to the Appellate Collector of Customs:

Provided that, if, between the date of the order appealed against and the date of final decision on the appeal, the officer who made the order is appointed as the Appellate Collector of Customs to whom the appeal lies, the appeal shall be decided by the Collector of Central Excise or of Customs, as the case may be, to whom the officer who made the order under appeal was then subordinate.

[No. F. 131/8/72-GC.II.]

M. A. RANGASWAMY, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1972

एस० ओ० 773(अ).—स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 80 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि जहां किसी स्वर्ण के संबंध में अधिहरण के न्यायनिर्णयन के लिए या शास्ति के अधिरोपण के लिए कार्यवाहियां उक्त अधिनियम तथा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन शुरु की गई हों वहां स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम, 1968 (1968 का 45) की धारा 80 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अपील सीमा-शुल्क अपील कलक्टर को की जाएगी :

परन्तु, यदि, जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश की तारीख और अपील पर अन्तिम विनिश्चय की तारीख के बीच, उस अधिकारी को, जिसने आदेश किया है ऐसे सीमा-शुल्क अपील कलक्टर रूप में नियुक्त किया गया हो जिसकी अपील हो सकती है, तो अपील का विनिश्चय, यथास्थिति, उस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क या सीमा-शुल्क कलक्टर द्वारा किया जाएगा जिसके कि वह अधिकारी जिसने अपीलाधीन आदेश किया है, तत्समय अधीनस्थ था ।

[एफ० सं० 131/8/72-जीसी ii]

एम० ए० रंगास्वामी, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATION, DELHI. 1972